बिहार सरकार

उद्योग विभाग

03/उ0नि0/योजना (सी0सी0टी0भी0 कैमरा)–02/17

शुद्धि पत्र

उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–954, दिनांक–29.03.2017 के कंडिका–4 को निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है, तदनुसार इसे इसप्रकार पढ़ा जाये :–

क. कंडिका–4 इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से उक्त स्वीकृत राशि की निकासी अग्रिम के रूप में एकमुश्त कर मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना को RTGS/बैंक ड्राफ्ट के रूप में उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी फार्म बी0टी0सी0–26 पर की आयेगी।

ख. वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी हेतु शिथलीकरण के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ग. राज्यादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगें।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक..........................

03/उ0नि0/योजना (सी0सी0टी0भी0 कैमरा)–02/17

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक..........................

03/उ0नि0/योजना (सी0सी0टी0भी0 कैमरा)–02/17

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक..........................

03/उ0नि0/योजना (सी0सी0टी0भी0 कैमरा)–02/17

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 981 / पटना, दिनांक 31.3.17

03/उ0नि0/योजना (सी0सी0टी0भी0 कैमरा)–02/17

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0), को/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.17

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

31.3.17

5

·(

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक:- 950 /
03/उ०नि०/योजना (सी०सी०टी०भी० कैमरा)-02/17

पटना, दिनांक:- 29.3.17

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकास भवन स्थित उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन द्वितीय एवं तृतीय तल पर अवस्थित कक्ष में सी0सी0टी0भी0 कैमरा अधिष्ठापन के क्रय हेतु अनुमानित व्यय ₹14.40 लाख (चौदह लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकास भवन स्थित उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन द्वितीय एवं तृतीय तल पर अवस्थित कक्ष में सी0सी0टी0भी0 कैमरा अधिष्ठापन के क्रय हेतु अनुमानित व्यय ₹14.40 लाख (चौदह लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस स्वीकृत योजनान्तर्गत विकास भवन स्थित उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन द्वितीय एवं तृतीय तल पर अवस्थित कक्ष में सी0सी0टी0भी0 कैमरा का क्रय उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता गठित समिति की अनुशंसा में आलोक में की जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्यशीर्ष-2852 उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0163 व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, मॉग सं0 23, विषय शीर्ष-13 01 कार्यालय व्यय, विपत्र कोड-P2852801020163 में मूल बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा। जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में यथेष्ठ बजट उपबंध उपलब्ध है।

4. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से फार्म BTC-46 पर कर उद्योग मित्र के पी0एल0ए0 खाता सं0-247 में उपलब्ध करायेगें।

5. योजना के लेखा-जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी मुख्यकार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना की होगी।

6. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें। साथ ही प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना समय-समय पर इस योजना की समीक्षा करेगें।

7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-03/उ०नि०/योजना (सी०सी०टी०भी० कैमरा)-02/17 के **पृष्ट-2/टि0** पर दिनांक **29.03.17** को प्राप्त है।

8. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-03/उ०नि०/योजना (सी०सी०टी०भी० कैमरा)-02/17 के पृष्ट- 2 /टि0 पर दिनांक-29.3.17 को प्राप्त है।

D:drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16--------112

क्रमशः पृष्ट-02 पर

9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561 वि0 (2), दिनांक–17.04.98 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND5434 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे।

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 954 /
03/उ0नि0/योजना (सी0सी0टी0भी0 कैमरा)–02/17

पटना, दिनांक 29.3.17

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 954 /
03/उ0नि0/योजना (सी0सी0टी0भी0 कैमरा)–02/17

पटना, दिनांक 29.3.17

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 954 /
03/उ0नि0/योजना (सी0सी0टी0भी0 कैमरा)–02/17

पटना, दिनांक 29.3.17

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/आय व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/मुख्यकार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।